

**कार्यालय**  
**रमाबाई अम्बेडकर मैदान व अन्य विभिन्न सम्बद्ध क्षेत्र, लखनऊ**  
(स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति)

पत्रांक : 800 / 2023-24

दिनांक : 04/10/23

**संशोधित कोटेशन आमंत्रण सूचना**

पूर्व में निर्गत कोटेशन आमंत्रण सूचना 766 / 2023-24 दिनांक 25.09.23 में रमाबाई अम्बेडकर मैदान व अन्य विभिन्न सम्बद्ध क्षेत्र लखनऊ के अन्तर्गत डोरमेट्री स्थित मेन पम्प हाउस स्थित 15 एचपी 3 फेज 415 वोल्ट की मोटर पार्क/परिक्षेत्र के सम्पूर्ण परिसर में पेयजल, सिंचाई एवं साफ-सफाई व्यवस्था हेतु स्थापित है। उक्त मोटर के रिवाइडिंग व रिपेयरिंग इत्यादि कार्यों हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ में पंजीकृत फर्मों से कार्य कराये जाने हेतु कोटेशन आमंत्रण में संशोधन निम्नवत् है:-

S. No.	Description of work	Qty.	Unit
1	Rewinding /Repairing for three Phase Submersible Motor and pump for 15 HP including all accessories less burnt copper scrap labour T&P complete in all respect.	01	Job
2	Lifting and lowering of 6.0 Inch MS Coloumn Pipes with help of Chain Pully block & Tripod complete from/to borewell.	01	Job
3	S/F of 6.0 Inch Dia MS Column pipe in 3 mtr. length with suitable size flange ISI marks complete in all respect	06	Rmt
4	S/F & Lowering of 6.0 sq. M.M Tree core flat FRLS PVC Insulated PVC sheathed multistand copper submersible cable make Havells/Polycab/KEI all complete.	96	Rmt
5	S/F of MS Nut bolt 10mm dia, complete in all respect.	10	Kg
6	S/F of Rubber packing 6.0 Inch size complete in all respect	18	Nos.
7	S/F of Compound water proofing tape complete in all respect.	0.2	Kg

अतः कार्य करने हेतु इच्छुक फर्म जोकि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में पंजीकृत हो, अपना कोटेशन दिनांक 10.10.2023, सायं 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अवधि समाप्त होने के पश्चात कोटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा। कोटेशन स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। विभिन्न फर्मों में से न्यूनतम दर पर प्राप्त कोटेशन वाली फर्म को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

**नियम व शर्तें :-**

1. किसी भी प्रकार की टूट-फूट की जिम्मेदारी फर्म की होगी, जिसके सापेक्ष में किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. किसी भी आकस्मिक स्थिति/समय कार्य पूर्ण न होने की दशा में समस्त जिम्मेदारी पूर्णतया: फर्म की होगी।
3. कार्यादेश जारी होने में अंकित अवधि में ही कार्य पूर्ण किया जाना होगा।
4. पम्प मोटर की मरम्मत/रिवाइडिंग के कार्य की वारंटी 06 माह होगी।

(डा० आशीष कुमार)  
प्रबन्धक

**प्रतिलिपि:-**

1. मुख्य प्रबन्धक महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, ल०वि०प्र०, को सादर अवलोकनार्थ।
3. प्रबन्धक (अनुरक्षण/ वित्त) को सूचनार्थ।
4. सर्वर एवं नेटवर्क इंजीनियर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त कोटेशन आमंत्रण सूचना को स्मारक समिति की वेबसाइट पर अपलोडिंग संबंधी कार्यवाही हेतु।
5. नोटिस बोर्ड।

प्रबन्धक